न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

ीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
ली संख्या. 100/2024
:– प्रार्थना–पत्र
दिनांक : 16.07.2024

निर्णय दिनांक: 15.12.2025

उनवान

1. घासीराम पिता वरदा जाति कुमावत निवासी माण्डपिया का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

.............प्रार्थी

बनाम

1. गोपीलाल पिता परसराम जाति कुमावत
2. शंकरलाल पिता परसाराम जाति कुमावत
3. कालुराम पिता जीतमल जाति कुमावत
4. बालुराम पिता जीतमल जाति कुमावत
   सभी निवासीयान माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. मांगी बाई पुत्री जीतमल पत्नि शंकरलाल जाति कुमावत निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
6. रामलाल पिता जीतमल जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
7. श्यामु बाई पिता जीतमल पत्नि जगदीश जाति कुमावत निवासी बामणियां कलां तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
8. भैरूलाल पिता उदयराम जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
9. श्यामलाल पिता उदयराम जी जाति कुमावत निवासी माण्डमिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. सोसर बाई पुत्री उदयराम पत्नि मोहनलाल जी जाति कुमावत निवासी बडलिया तहसील व जिला राजसमन्द
11. लेहरू पिता मोडा जी जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. गणेश पुत्र हरिराम जी जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. गोपीलाल पुत्र हरिराम जी जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. नानी पत्नि हरिराम जी जाति कुमावत निवासी माण्डपिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. भैरूलाल पुत्र वरदीचन्द जी जाति कुमावत निवासी माण्डमिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
16. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी

र्थी की ओर से :– अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र खटीक
पक्षी संख्या 01 से 11 की ओर से :– एकपक्षीय
पक्षी संख्या 12 से 15 की ओर से :– अधिवक्ता रोशनलाल साहू

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी का स्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डपिया खेडा पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की स्वामित्व ाधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 6337/5489 रकबा 0.0203 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी संख्या 37/5489 के राजस्व नक्शे के अनुसार पूर्व दिशा में प्रार्थी के स्वंय की आराजी संख्या 5907/4677, पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 6338/5489, उत्तर दिशा में आराजी संख्या 6075/4677, 5490/4677 विपक्षीगण की आराजीयात स्थित है, दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 4624 किस्म रास्ता स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी व विपक्षीगण की उपरोक्त आराजीयात के बीच में कोई स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में कोई निशानात् मौजुद नहीं है। जिससे विपक्षीगण आये दिन उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते रहते है एवं लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। जिससे प्रार्थी अपनी उक्त आराजी संख्या 6337/5489 के चारो दिशाओं में व विपक्षीगण की उपरोक्त कृषि आराजीयात के बीच स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थरगढ़ी

ई जानी आवश्यक है ताकि सीमांकन चिन्ह हो लेकर कोई विवाद उत्पन्न नही हो। विपक्षीगण आये दिन ो की आराजीयात मे दखलन्दाजी एवं कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप कारित करते है और सीमांकन चिन्ह बावत द करते रहते है व मौके पर थोहर बाड व पिल्लरों को भी विपक्षीगण द्वारा हटा दिया गया है, आये दिन कन विवाद होता रहता है जिससे दिनांक 15.06.2024 को विपक्षीगण को प्रार्थी द्वारा कहां गया कि मौके सीमा जानकारी करवाकर पत्थरगढ़ी करवा देंवे लेकिन विपक्षीगण नहीं माने और लड़ाई झगड़ा करने पर हो गये। दिनांक 20.06.2024 की बात है प्रार्थी की आराजी संख्या 6337/5489 पर चारो दिशाओ की पत्थर के पील्लर रोप रखे थे विपक्षीगण बिना किसी वैध अधिकार के एवं प्रार्थी की बिना सहमति स्वीकृति ार्थी की आराजी संख्या 6337/5489 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पिल्लरों को हटा दिया गया जिससे े की एवं प्रार्थी की आराजीयात का स्थाई सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी रोपे जाने की आवश्यकता है। तेदार अणछी की मृत्यु हो जाने से राजस्व रेकार्ड में अणछी का नाम है इसलिये अणछी के विधिक वारिसान ीलाल व शंकरलाल है जिन्हें विपक्षीगण के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र का हेतुक दिनांक .06.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी की आराजीयात के चारो ओर पीलर लगा रखे थे उनको हटा दिया ा प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया तो मना कर दिया गया और मौके पर विवाद अभी चल रहा है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डपिया खेडा में स्थित प्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 6337/5489 के राजस्व नक्शे के अनुसार पूर्व दिशा प्रार्थी के स्वंय की आराजी संख्या 5907/4677, पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 6338/5489, उत्तर दिशा में राजी संख्या 6075/4677, 5490/4677 व दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 4624 किस्म रास्ता स्थित है जो क्षीगण के नाम पर मौजुद है प्रार्थी की उक्त आराजी के चारों दिशाओं में स्थित विपक्षीगण की उपरोक्त राजीयात के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह के रूप में पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 12 से 15 की फ से अधिवक्ता रोशनलाल साहू ने वकालत नामा पेश किया। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 11 बाद तामील यालय में अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 12 से 15 के धिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के जरिये के प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण से सम्बन्धित तविक तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्वयं मौके पर भाई बन्टवाड़े से प्राप्त अलग अन्य दूसरी आराजियात काबिज है तथा विपक्षीगण प्रार्थी के वर्तमान खाते में गलत तरीके से दर्ज हुई भूमि पर काबिज है अर्थात ब 40–45 वर्ष पूर्व मौके पर सभी पक्षकारान अलग अलग काबिज होने से उसी अनुसार ही कब्जे मुताबिक पत्थरगढ़ी अथवा विभाजन कराये जाने के लिए पक्षकारान अधिकृत है । इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा पक्षकारान न्यायालय को गुमराह कर राजस्व अधिकारी से साठ गाँठ करते हुए गलत तरीके से बिना पक्षकारान की र तामिल कराये विभाजन की एक तरफा डिक्री राजस्व केम्प के जरिये प्राप्त की तथा उसी आधार पर वारी हल्का से साठ गांठ कर बिना सभी खातेदार को सूचित किये बंटवाडा फेहरिस्त तैयार करवाते हुए जो या प्रार्थी स्वयं के कब्जे में भाई बन्टवाडे के माध्यम से विगत 40 वर्षों से नही होने के बावजूद वे भूमिया तरफा डिक्री से बिना सहखातेदार को सुचना दिए प्रार्थी ने पटवारी से मिलीभगत दर्ज कर अपने नाम दर्ज वाई तथा अब उन्ही भूमियो की पत्थरगढ़ी करवाकर उसके माध्यम से जबरन कब्जा करना चाहता है जो धि में अपेक्षित नही है क्योंकि इस मामले में कब्जा सम्बन्धि विवाद पूर्व से ही वर्तमान में विद्यमान है। प्रार्थी की र से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र बेंईमानी पूर्ण आशय से मौके पर विवाद करने के आशय से ही प्रस्तुत किया ा है जिसकी सच्चाई यह है कि प्रार्थी की ओर से पूर्व में एक विभाजन का वाद न्यायालय में पेश किया जो नांक 23–05–2017 को पूर्व में ही लोक अदालात के राजस्व केम्प में बिना सभी पक्षकारान की सहमती के क्री किया गया तथा वर्ष 2017 की विभाजन डिक्री के सम्बन्ध में पुनः निर्णय में संशोधन का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ा दिनांक 11–11–2021 को न्यायलय में पेश किया गया जिसमे भी सभी पक्षकारान को सूचित किये बिना दिनांक 11–11–2021 को संशोधित निर्णय विभाजन के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर प्राप्त किया या जिस सम्यन्ध में विपक्षी को पूरी जानकारी नही दी गई जब जानकारी प्राप्त हुई तो विपक्षी भेरू लाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का बाबत उसके विरुद्ध पारित एक तरफा विभाजन डिक्री को अपास्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमे पक्षकारान की तामिल होकर प्रकरण में विपक्षी गणेश लाल, गोपीलाल व नानी बाई की ओर से उक्त विभाजन डिक्री अपास्त किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष अपनी अनापत्ति बावत जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है

उक्त विभाजन डिक्री बईमानी पूर्ण आशय से न्यायालय को गुमराह कर गलत तरीके से प्राप्त की गई तथा उक्त डिक्री की आड़ में पत्थरगढ़ी के माध्य से जबरन विपक्षीगण को मौके से वेदखल कर कब्जा करना ा है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि जो एक तरफा जन डिक्री के जरिये खाते में दर्ज हुई है वह डिक्री ही वापस न्यायालय में अपास्त किये जाने होकर उक्त ध मे कार्यवाही न्यायालय में जेर पेंडिंग है जिससे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पूर्व से ही विवाद विद्यमान होने ारिज होने योग्य है द्य इससे समबन्धित दस्तावेजो की प्रतिया इस आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की ही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर की ओर से प्रस्तुत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस मे दिये गये उजरात एवं पत्रावली पर ब्ध दस्तावेजात से यह ताईद है कि प्रार्थी विवादित जमीन का रिकार्डेड खातेदार अवश्य है, किन्तु वादग्रस्त जीयात के सम्बन्ध में कार्यवाही न्यायालय में जेर पेंडिग है जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो द्वारा पत्थरगढ़ी चाही गई है उक्त संबंध में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिससे विवादित भूमि के में पत्थरगढी नही की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु बाबत् पत्थरगढी अस्वीकार किये जाने योग्य साबित है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु बाबत् पत्थरगढी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

य आज दिनांक **15.12.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)